कार्यालय–जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

स्तम्भ 4 दि० 29.7.16

निविदा/टैण्डर सूचना

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1388/इन्फ्रा सेल इलाहाबाद दिनांकित–08.12.2015 के अनुपालन में एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक–27.7.2016 के अनुपालन में जिला न्यायालय मेरठ में प्रयोग हेतु 4 वाटर कूलर क्षमता 150 लीटर मय आर0 ओ0 तथा 200 डेजर्ट कूलर्स क्रय किये जाने है।

उपरोक्त वर्णित वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आयकर व्यापारकर से मान्यता प्राप्त पंजीकृत फर्मो/विक्रेता/डीलर्स से दिनांक–09.9.2016 को अपराहन् 12:00 बजे तक सील्ड व मुहर बन्द निविदांये/टैण्डर आमंत्रित किये जाते है।

उपरोक्त वर्णित वस्तुओं की विशिष्टियां निविदा हेतु निर्धारित फार्म, निविदा की शर्ते किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक दिनांक–08.9.2016 तक नजारत अनुभाग मेरठ में 100/–रूपये अदा कर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा/टैण्डर फार्म के साथ जिला न्यायाधीश मेरठ के पक्ष में देय कुल मूल्य मय वैट व देय टैक्स आदि का 2 प्रतिशत अग्रिम धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिला न्यायाधीश मेरठ के पक्ष में टैण्डर प्रस्तुत करने के समय दिनांक–09.9.2016 को जमा की जायेगी और टैण्डर स्वीकृत होने पर वस्तुओं के कुल मूल्य मय सभी कर का 10 प्रतिशत धरोहर/जमानत राशि संबंधित फर्म द्वारा जमा किया जायेगा।

उपरोक्त वस्तुओ की निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति किये जाने एवं गारन्टी/वारन्टी की अवधि तक आपूर्ति किये गये वस्तुओं की मरम्मत आदि के प्रयोजनार्थ विहित प्रारूप पर क्रय आदेश जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध निष्पादित करना होगा। निर्धारित फार्म के अतिरिक्त अन्य प्रारूप पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। उक्त निविदायें दिनांक–09.9.2016 को 4:00 बजे अपराहन् क्रय समिति के समक्ष तेरह न्यायालय भवन के मीटिंग हाल में खोली जायेगी। निविदायें खोले जाने के समय फर्मो के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

उक्त सूचना एवं निविदा की शर्ते माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईट www.allahabadhighcourt.in तथा जनपद न्यायालय, मेरठ की बेवसाईट www.districtcourtmeerut.nic.in पर भी उपलब्ध है।

29/7/2016 — Vinai Kumar Dwivedi 29/07/16 — 29.7.16

(शिव चन्द)	(विनय कुमार द्विवेदी)	(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सदस्य, क्रय समिति	सदस्य, क्रय समिति	अध्यक्ष, क्रय समिति
मेरठ।	मेरठ।	मेरठ।

Addl. Distt. Sessions Judge
Court No.-1, Meerut.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतू।

1– नोटिस बोर्ड जनपद न्यायाधीश, मेरठ।

2– नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, मेरठ।

3– नोटिस बोर्ड आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।

4– नोटिस बोर्ड मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

5– समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतू।

6– कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद व माननीय उच्च न्यायालय की बेवसाईड पर अपलोड हेतू।

सं० 4 दि० 29.7.16

निविदा की शर्त

न्यायिक प्रतिष्ठान मेरठ के लिये 200(दो सौ मात्र) डेजेर्ट कूलर एवं 4(चार) वाटर–कूलर मय आर0ओ0 प्रतिष्ठित कम्पनी का क्रय किया जाना है। जिस हेतु अधिकृत/पंजीकृत डीलर/फर्म द्वारा सीलबन्द निविदा निम्न शर्तो पर आमन्त्रित की जानी हैं :–

1– निविदा की आपूर्ति किये जाने वाले सामान की निर्माता कम्पनी, माडल नम्बर, क्षमता, वाट एम्पीयर का विवरण अंकित किया जाना अनिवार्य है,

2– सीलबन्द निविदा के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर मय दिनांक होना आवश्यक है। सीलबन्द निविदा में किसी प्रकार की कटिंग/ओवरराईटिंग होने पर निविदा निरस्त कर दी जायगी,

3– सीलबन्द निविदा में दरो का अंकन शब्दो तथा अंकों दोनो में किया जाये, साथ ही दर वैट सहित सम्मिलित की जायगी,

4– निविदा देने वाली फर्म का वाणिज्य–कर कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है और निविदादाता द्वारा ट्रेड–टैक्स, वैट–टैक्स विभाग द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाणपत्र देना भी अनिवार्य है,

5– निविदा में आपूर्ति किये जाने वाले समान/आईटम का मूल्य मय वैट एवं आपूर्ति किये जाने वाले समस्त सामान/आईटम का कुल मूल्य मय वैट अंकित करना अनिवार्य है, और उक्त कुल मूल्य मय वैट के 2 % धनराशि का ड्राफ्ट अग्रिम धनराशि के रूप में माननीय जनपद न्यायाधीश, मेरठ के पक्ष में पृथक सीलबन्द लिफाफे में संलग्न करना अनिवार्य होगा,

6– निविदा सूचना के नियमानुसार जारी होने के बाद निविदा फार्म दिनांक 08.09.2016 में सांय 5.00 बजें तक जनपद न्यायालय मेरठ के नजारत कार्यालय से 100 रूपये अदा करके किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है,

7– सीलबन्द निविदा एवं उसके साथ संलग्न सीलबन्द अग्रिम धनराशि दिनांक 09.09.2016 को दिन 12.00 बजे तक जनपद न्यायालय, मेरठ के नजारत अनुभाग में प्राप्त कराया जाना अनिवार्य होगा। दिनांक 09.09.2016 को दिन में 12.00 बजें के पश्चात प्राप्त निविदाये स्वीकार नहीं होगीं। पंजीकृत डाक से निविदा प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जायगा कि निविदा दिनांक 09.09.2016 को दिन के 12.00 बजें तक नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय मेरठ में प्राप्त हो जाय।

8– सीलबन्द उपरोक्त निविदांये दिनांक 09.09.2016 को शाम 4.00 बजें के बाद तेरह–कक्षीय न्यायालय भवन के मिटिंग–कक्ष में खोली जायेंगी । निविदा खोले जाने के समय निविदादाता या फर्मो के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकतें हैं,

9– निविदाओं को स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश को होगा । किसी भी निवदा को बिना कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश मेरठ द्वारा निरस्त किया जा सकता है,

सं० 4/दि० 29.7-16

2

10– निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदादाता/फर्म द्वारा अपेक्षित एवं वांछित गुणवत्ता की वस्तु की आपूर्ति निर्धारित अवधि के अन्दर किये जाने के सम्बन्ध में आपूर्ति किये जाने वाले समस्त वस्तुओं के कुल मूल्य मय वैट की धनराशि 10 प्रतिशत का डिमाण्ड ड्राफ्ट माननीय जनपद न्यायाधीश, मेरठ के पक्ष में जमानत के रूप में जमा करना होगा । उक्त जमानत की धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्रों, राष्ट्रीयकृत बैंका के मियादी जमान रसीद इत्यादी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। उपर्युक्त शर्तो का अनुपालन सफल निविदादाता द्वारा न करने की स्थिति में उक्त जमानत की धनराशि और अग्रिम धनराशि नियमानुसार जब्त कर ली जायगी। वांछित गुणवत्ता की वस्तु के निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में जमा जमानत की धनराशि वस्तु के आपूर्ति किये जाने के बाद उनकी गुणवत्ता एवं अन्य विशिष्टताओं के सम्बन्ध में वांछित रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हे अवमुक्त किया जायगा,

11– मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति किये जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने एवं वारण्टी के अन्दर उक्त वस्तुओं की मरम्मत आदि के प्रयोजानार्थ क्रय आदेश जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर विहित प्रारूप में सफल निविदादाता/फर्म द्वारा अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा,

12– निविदा स्वीकृत होने पर वांछित अनुदान की धनराशि की मांग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से की जायगी और अनुदान प्राप्त होने पर क्रय आदेश जारी किया जायगा। आपूर्ति किये जाने वाले वस्तुओ की संख्या अनुदान पर आधारित होगीं। जो घट–बढ सकती है,

13– आपूर्ति की गयी वस्तु में कोई मेन्यूफैक्चरिंग कमी पायी जाती है तो उसे आपूर्तिकर्ता द्वारा पुनः आपूर्ति करनी होगी,

14– निविदाकर्ता में से जो भी निविदाकर्ता उपरोक्त शर्तो में से किसी एक भी शर्त का पूर्ण नहीं करेगा उसकी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी,

15– आपूर्ति किये जाने वाली वस्तु के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया निविदा एवं उसके सम्बन्ध में निष्पादित किये जाने वाला अनुबन्ध वस्तुओं की गुणवत्ता आपूर्ति आदि एवं अनुबन्ध एवं शर्तो के उल्लंघन के समबन्ध में समस्त विवादों को मध्यस्थ (आर्बीट्रेटर) को संन्दर्भित किया जायगा। मध्यस्थ की नियुक्ति पक्षकारों के प्रार्थना पत्र पर महा–निबन्धक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया जायगा,

16– निविदा में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई अन्य भुगतान जैसे भाडा, आपूर्ति किये जाने

संख्या 4 दि० 29.7.16

वाली वस्तु को निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में देय नहीं होगा, कोई बीयर–टीयर देय नहीं होगा।

दिनांक–29.07.2016

29/7/016 | Vinai Kumar Dwivedi 29/07/16 |
(शिवचन्द्द) | (विनय कुमार द्विवेदी) | (अरविन्द कुमार पाण्डेय)
सदस्य, कय समिति | सदस्य, कय समिति | अध्यक्ष, कय समिति
अपर जिला जज, | विशेष न्यायाधीश | अपर जिला जज
न्यायालय सं0 15, मेरठ | भ्र0नि0अधि0 मेरठ। | न्यायालय सं0 1, मेरठ।